सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

वाद संख्या : 127/2013

बृजमोहन पुत्र मोडूलाल जाति मीणा निवासी हरसोली तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

01. रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मण
02. सूरजमल पुत्र जगन्नाथ
03. तुलसीराम पुत्र गोपाल

जाति मीणा निवासीगण हरसोली तहसील मांगरोल जिला बारां

04. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0एक्ट0

वकील वादीगण : श्री लिहाज हुसैन अंसारी

दायरा दिनांकः 05.12.2013 निर्णय दिनांक : 07.02.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 59 खसरा नं0 230 रकबा 2.59 है0 वाके ग्राम हरसोली तहसील मांगरोल में स्थित है जो वादी के खाते राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संख्या 2068 से 2071 में दर्ज है जिसका वादी एक मात्र तन्हा खातेदार है। प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 वादी के पडौसी काश्तकार है व लडाकू व ताकतवर लडाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की आराजी खसरा नं0 230 रकबा 2.59 है0 ग्राम हरसोली में उत्तरी ओर मेढ पर जबरदस्ती ताकत के बल पर हांक लिया है। तथा वादी को उसके खाते की भूमि से बेदखल करने की नियत रखे हुए है। वादी की भूमि पर जबरन काबिज है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। वादी प्रतिवादीगण द्वारा किये गए अवैध कब्जा को हटाए जाने का अधिकारी हैं। अतः प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 को वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 59 खसरा नं0 230 रकबा 2.59 है0 वाके माल हरसोली के उत्तरी और किये अवैध कब्जा हटा कर बेदखल किया जाकर वादी को मौके पर भूमि का कब्जा सम्भलाया जावें। तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि उक्त वर्णित आराजी में दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 05.12.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। दिनांक 08. [illegible] को प्रतिवादीगण कम 1, 2 व 3 असालतन व वकालतन बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनको एक पार्टी घोषित कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली में दिनांक [illegible] को वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है। प्रतिवादीगण 4 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) उपस्थित होकर दिनांक 07.02.2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसके अनुसार जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 55 पर खसरा नं0 230 रकबा 2.59 हे0 भूमि बृजमोहन पुत्र मोडू जाति मीना सा0 हरसोली के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। एवं प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 द्वारा उक्त आराजी की उत्तरी मेढ को जबरन हाकना जाहिर किया है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में निवेदन किया है कि उसकी कब्जे व खाते की आराजी खाता संख्या 59 खसरा नं0 230 रकबा 2.59 है0 वाके माल हरसोली में प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 बदनियति रखते है एवं वादी को काश्त करने में दखलअंदाजी करता है। प्रकरण चूकि आर0टी0एक्ट0 धारा 183 का है जिसमें टाइटल होल्डर को अवैध कब्जा काश्त करने वाले प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली आदेश जारी करे मौके पर राहत देने का प्रोविजन है। प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु आजतक लगभग 5 वर्षो में 38 अवसर दिये जा चुके है, अब और अवसर दिया जाना न्यायालय उचित नही समझता है। अतः मुताबिक वाद पत्र, संलग्न दस्तावेज एवं वकील वादी द्वारा की गई एक पक्षीय बहस व प्रतिवादी कम 4 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट के मध्य नजर वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मण व प्रतिवादी कम 2 सूरजमल पुत्र जगन्नाथ व प्रतिवादी कम 3 तुलसीराम पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासीगण हरसोली तहसील मांगरोल को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी की कब्जे व खाते की आराजी आराजी खाता संख्या 59 खसरा नं0 230 रकबा 2.59 है0 वाके माल हरसोली में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें व वादी को शांति पूर्वक काश्त करने देवें। प्रतिवादी कम 4 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) को आदेश दिया जाता है कि वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मौके पर वादीगण की खाते व कब्जे की आराजी खसरा नं0 230 रकबा 2.59 है0 का सीमाज्ञान करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।